

**प्रारूप-2**  
**राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) कंडिका 6 देखिये)**

1-	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम	
2-	पिता का नाम व पूर्ण पता	
3-	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर-कृषक यदि कृषक है तो भूमि का पूर्ण विवरण	
4-	हानि का पूर्ण ब्यौरा:- 1. फसल हानि 2. पशु पक्षी (मुर्गा/मुर्गी) हानि 3. मकान की क्षति ( क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण आकार, प्रयोजन एवं क्षति का विवरण) 4. कपड़ा/बर्तन/खाद्यान्न की हानि 5. जनहानि (मृतक से आवेदक का संबंध) 6. शारीरिक अंग हानि	
5-	(अन्य हानि जिसके लिये रा.पु.प. 6(4) मे सहायता दी जाना संभव हो )	
6-	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके	
7-	पर्ण औचित्य बताते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहीये उसका ब्यौरेवार विवरण	
8-	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता दी जाना संभव नहीं है ।	
9-	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या वह शोधशाम प्रतिभूति देने के लिये तैयार है	
10-	कितना ऋण मांगा है ? ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिये	
11.	अन्य विवरण	